न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर, जिला–

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	माफी मंदिर बनाम मोहन मु.नं. 97/2024
2-3-24	पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष व उनके अभिभाषक को आवाज लगाई गई। कोई उपस्थित नहीं हुआ। पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली लम्बे समय से तलवाना सम्मन पेश नहीं होने के कारण तलबी अप्रार्थी/प्रति संख्या ।। की तलबी में लंबित है। वादी को तलवाना सम्मन पेश करने हेतु काफी अवसर दिये बावजूद उसके तलवाना सम्मन पेश नहीं किये। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि वादी अपने वाद के प्रति गंभीर नहीं है एवं वे इसे आगे नहीं चलाना चाहते है। अतः वाद वादी व उनके अभिभाषक में से कोई उपस्थित नहीं होने के कारण अदम-हाजरी, अदम-पैरवी में खारीज किया जाता है। चूंकि मूल वाद खारीज हो चुका है अतः इससे संबंधित प्रार्थना पत्र में प्रार्थी के पक्ष में जारी जिसके 24.05.2017 को जारी पुष्ट (Confirm) निषेधाज्ञा निरस्त (vacate) की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार, नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।